


उन्नाव-शुक्लागंज महायोजना – 2031 (प्रारूप)

संकतिका	प्रस्तावित भू-उपयोग
आवासीय	पार्क एवं खुले स्थल
ग्रामीण आबादी	पार्क/खुला स्थान
निर्मित क्षेत्र	हरित पट्टी
आवासीय	डिस्ट्रिक्ट पार्क
व्यावसायिक	जोन्सल पार्क
नगर केन्द्र / केन्द्रीय वाणिज्यिक	रीवर फ्रण्ट डेवलपमेंट
जोन्सल व्यावसायिक	अन्य
बाजार स्ट्रीट	नदी / नाला / नहर / तालाब
थोक बाजार/भण्डार	वन क्षेत्र
मिनरल साईडिंग	प्रस्तावित बांधा/बांध
कार्यालय	कृषि
राजकीय / अर्ध राजकीय/निजी कार्यालय	कृषि
सामुदायिक / सांस्कृतिक सुविधायें और उपयोगितायें	हाईवे फैसेलिटी जोन
सामुदायिक सुविधायें / उपयोगितायें	सीमायें
सामुदायिक सुविधायें / उपयोगितायें	रेगुलेटरी जोन (गंगा नदी)
तकनीकी संस्थान / उच्च स्तरीय संस्थान	नो डेवलपमेंट जोन (गंगा नदी)
डिग्री / पोस्ट डिग्री / विश्वविद्यालय	विकास क्षेत्र सीमा
विक्रिस्ता	नगर पालिका परिसर क्षेत्र सीमा
सामुदायिक सेवायें	यू.पी.एस.आई.डी.ए. क्षेत्र सीमा
डम्पिंग ग्राउण्ड / ठोस अपशिष्ट	
एस.टी.पी. / गॉलर वर्क्स	
औद्योगिक	
लघु उद्योग	
मध्यम उद्योग	
यातायात एवं परिवहन	
ट्रक टर्मिनल	
आई.एस.बी.टी. / बस स्टैंड / बस टर्मिनल	
रेलवे भूमि / रेलवे लाईन / रेलवे स्टेशन	
वर्तमान मार्ग / प्रस्तावित मार्ग	
प्रस्तावित सेटू	
ग्रेड सेपरेटर	
उपग्रामी सेटू	

नियमः

- सर्वमान भू-उपयोग में प्रदर्शित सभी नदी, नाले, तालाब/जलाशय व वन क्षेत्र को उन्नाव-शुक्लागंज महायोजना – 2031 में यथावत प्रस्तावित किया गया है इसके अतिरिक्त राजस्व अतिरिक्त में एवं तालाब/जलाशय का भू-उपयोग महायोजना मानचित्र में अन्य किसी भू-उपयोग के अन्तर्गत अंकित किया गया हो वह भी उसका भू-उपयोग पालाब/जलाशय व वन क्षेत्र ही माना जायेगा।
- एन.डी.टी. के निर्देश पर सिंचाई विभाग द्वारा विनियत नो कल्चरेशन जोन की सीमा के भीतर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। विकास क्षेत्र में केवल उसी मानचित्रिका की अनुमति होगी जो सिंचाई और जल संवर्धन विभाग (उ.प्र.) के 04 सितंबर 2020 को संख्या 164/2020/2031/20-27-सिन 0-4-07(एन.डी.टी.)/16टीसी के अनुसार जारी किए गए शासनादेश के अनुसार स्वीकार्य है।
- शासन द्वारा स्वीकृत उन्नाव-शुक्लागंज महायोजना – 2001 के सभी भू-उपयोग जिन्हें उल्लिखित किया गया है, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क और वसिष्ठ में संचार द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- हाई टैशन लाईनें जमीनी स्थिति के अनुसार होंगी।



उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य			
आयुक्त/अध्यक्ष सचनक माडल, लखनऊ	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष, उ० शु० ति० प्र०	उपाध्यक्ष
जिलाधिकारी, उन्नाव	सदस्य	प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ००० शासन या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ००० का अधिकारी जो सहस्रमुख नियोजन से उपरान्त श्रेणी का हो।	सदस्य	सचिव, कोषागार एवं पंचायत, लखनऊ, मण्डल, लखनऊ या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
मुख्य अभियंता/अभियंता की अभियंता, निर्माण खण्ड - 1,	सदस्य	प्रमुख निदेशक जल विभाग, उ०००	सदस्य
शौक निर्माण विभाग, उन्नाव	सदस्य	अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, उन्नाव	सदस्य
अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, गंगाघाट	सदस्य	अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, उन्नाव	सदस्य
संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, 8 कैप्ट रोड, लखनऊ	सदस्य	अध्यक्ष, अभियंता अभियंता, उ००० पतार कार्यालय, उन्नाव	सदस्य
निदेशक पंचायत विभाग, निर्माण खण्ड गौमती नगर, लखनऊ	सदस्य		
1) श्रीमती कमलेश सिंह प्रती श्री श्रीरंज सिह, 1/137, कृषि नगर, शुक्लागंज, उन्नाव			
2) श्री हरिश्चंद्र चन्द यादव पुत्र स० श्री रामलाल यादव, निवासी - 16, राम नगर, उन्नाव			
3) श्री गणेश चंद्र मिश्रा			